समेकित छात्रवृत्ति योजना

म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां वर्ष 2023-24 हेत समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका

वर्ष 2023—24 हेतु समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका शिक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली छात्रवृत्ति योजनाऐं। (परिशिष्ट-1)

क्रमांक	छात्रवृत्ति का प्रकार	1 2		पालक की वार्षिक आय	पाँत्रता एवं शर्ते
		बालक	बालिका		
1	2	3	4	5	6
		<u> </u>	<u> </u>		

1	2	3	4	5	6			
1		स्कूल शिक्षा विभाग						
1	2	3	4	5	6			
(1.1)	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6से 8) (केवल शास. विद्या. के लिये)	200	300	1.00लाख	1— पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। 2— गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति। 3— गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।			
(1.2)	सुदामा प्री—मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9वीं से 10वीं) (केवल शास विद्या. के लि ये)	300	400	1.00লাম্ভ	1— पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2— गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र । 3— गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।			
(1.3)	स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (केवल शास विद्या. के लिये)	500	550	1.00লাম্ভ	1—पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2—गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र । 3—कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र / छात्रायें। 4—गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।			
(1.4)	सुदामा षिष्यवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) प्रदेश के जिला / विकास खण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले, सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र / छात्रायें।	5000	5250	1.00लाख	1—पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2—गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र । 3—कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर वर्तमान में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं में अध्ययनरत तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्र / छात्रा। 4— गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।			

(1)

1	2	3	4	5	6
(1.5)	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ।(केवल शास विद्या.के लिये)	5000	5000	1.00लाख	1—पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2—प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र एवं छात्रा।
(1.6)	मृत/अपंग/से.नि. शासकीय कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति (केवल शास. विद्या. के लिये)			-	1—अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत/अपंग/से.नि. शासकीय कर्मचारी के बच्चों की छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी। 2—गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
	कक्षा 1 से 5 तक	50	50	_	
	कक्षा ६ से ८ तक	120	120	_	
	कक्षा ९ से 12 तक	250	250	_	
(1.7)	पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति(केवल शास. विद्या. के लिये)	-	_	_	1—अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी। 2—गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
	कक्षा 1 से 5 तक	_	350	_	
	कक्षा ६ से ८ तक	-	400	-	
	कक्षा 9 से 12 तक		450	_	
(1.8)	इकलौती बेटी को "षिक्षा विकास छात्रवृति (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मण्डल का पाठ्यकम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालय) कक्षा 11 एवं 12		5000		1-बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान है । 2-मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त। 3-यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेंगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क ₹ 1500 / - से कम होगा। माता-पिता के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र / राशन कार्ड में परिवार की सूची की सत्यापित प्रति। 4-माता-पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध में अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र / राशन कार्ड की सत्यापित प्रति। 5-कक्षा 10वीं / 11वीं की अंक सूची।

2			अनुसूचि	वत जाति कल्य	ाण विभाग
1	2	3	4	5	6
(2.1)	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन	_	250		1—अ.जा. वर्ग की छात्रायें।
	एवं नवीनीकरण)		-	आय सीमा का	2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया
	कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के		:	बंधन नहीं।	प्रति ।
	लिए)				3—एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
	,	l			4—नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिये (कक्षा 1 से 5)के लिये पुनः
					आवेदन की आवश्यकता नहीं।
				:	5–आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।
					6-मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।
(2.1.1)	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन	200	600		1–अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें।
(,	एवं नवीनीकरण)			आय सीमा का	2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया
	कक्षा 6 से 8			बंधन नहीं।	प्रति ।
					3-एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
					4—नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिये (कक्षा 6 से 8) पुनः आवेदन की
					आवश्यकता नहीं।
					5—आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।
•		,			6-मूलिनवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।
(2.6)	अन्. जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि		3000	पिता या पालक	1—अनु.सूचित जाति वर्ग की छात्रायें।
(2.5)	कक्षा 11वीं	!		आयकर दाता की	2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया
				श्रेणी में न आता	प्रति
				हो	3-पालक के आयकर दाता न होने का स्वघोषणा पत्र।
					4 छात्रा सतत् अध्ययनरत होना चाहिये।
	<u> </u>	L	i		

3				जनजातीय	कार्य विभाग
1	2	3	4	5	6
(3.1)	राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति	_	_	आय सीमा का	1— म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें।
	(नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 8			बंधन नहीं।	2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित
	योजना क–8805 (0102)				छाया प्रति।
	कक्षा 1 से 5(अनुसूचित जनजाति वर्ग	250	250		3—एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
	की समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष				4—नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 5 तक के
	पिछडी जनजाति(बैगा,भारिया,सहरिया)				लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं।
	के बालकों के लिए				5—आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता .नहीं।
(3.1.1)	राज्य शासन अनु. जन जाति	200	600	आय सीमा का	1—म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/ छात्रायें।
	छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण)			बंधन नहीं।	2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित
	(कक्षा 6 से 8)				छाया प्रति।
					3—एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
				·	4—नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 6 से 8 के लिये)
					पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं।
					5—आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
3.5	अनु. जनजाति कन्या साक्षरता	-	3000	पिता या पालक	1—म.प्र. के अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रायें।
	प्रोत्साहन राशि (8844)			की आय 6.00	2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित
	कक्षा ११वीं			लाख रू.से	छाया प्रति।
				अधिक न हो।	3-छात्रा सतत् अध्ययनरत् होना चाहिए।
					4—सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र।
L	1	<u> </u>	82	J	

4		क्कड जनजाति कल्याण विभाग			
1	2	3	4	5	6
(4.1)	राज्य छात्रवृत्ति (प्राथमिक स्तर)	_	_	आय सीमा का बंधन नहीं।	1—विमुक्त,घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र / छात्रायें। 2— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
	कक्षा 1 से 5	150	150		3—एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4— नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 5 के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5—आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
(4.1.1)	राज्य छात्रवृत्ति (माध्यमिक स्तर)	-	_	आय सीमा का बंधन नहीं।	1—विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र / छात्रायें। 2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
	कक्षा 6 से 8	200	600		3एक वर्ष अनुर्त्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4- नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे 6 से 8 तथा 9वीं एवं
	कक्षा 9 से 10	600	1200		10वीं के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5— आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।
(4.2)	पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी)	2300	2300	2.50 लाख तक पूर्ण छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्क एवं 2.50लाख से 3.00 लाख तक आधा शुल्क	1—विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3—आय संबधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वधोषणा प्रमाण पत्र। 4—एक वर्ष अनुर्त्तीण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है। 5—नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की "गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।"
	पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (छात्रावासी)	3800	3800		6—शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु कमशः रू 450. /-एवं रू. 1550/- (350/- शिक्षा विभाग + 1200/- माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण/अर्द्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे।"
(4.4)	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं	<u></u> -	3000	पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो	1—विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग की छात्रायें। 2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3—आय संबंधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र। 4—छात्राए सतत अध्ययनरत होना चाहिए।

5			म.प्र.	पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक विभाग
1	2	3	4	5	6
(5.1)	राज्य शासन पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति	_	_	पिता या पालक	1—अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
•				आयकर दाता	2—आय के संबंध में पालक का स्वघोषणा पत्र।
ļ	कक्षा 6 से 8	200	300	की श्रेणी में न	3-नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र की "गत वर्ष में आय में वृद्धि नहीं हुई
	कक्षा 9 से 10	300	400	आता हो या	है।"
					61
				10 एकड़ से	
				अधिक भूमि न	
				हो	
	पोस्ट मेट्रिक पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति				1—अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
	ए– गैर छात्रावासी	1.			2—आय के संबंध में पालक का स्वधोषणा प्रमाण पत्र।
(5.2)					3-नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र कि "गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं
	कक्षा ११वीं	2300	2300		
	कक्षा १२वीं	2300	2300	3.00 लाख	हुई है।"
ļ	बी–छात्रावासी			1	4—अंक सूची की छायाप्रति।
	कक्षा ११वीं	4000	4000	_	5—एक वर्ष अनुत्तीर्ण को पात्रता नहीं।
	कक्षा १२वीं	4000	4000	-	
	किसा १२वा	4000			ाय विभाग म.प्र.
.6				सामाजिक स्य	1-विद्यालय में अध्ययनरत समस्त दिव्यांग छात्र/छात्रायें। म.प्र. के निवासी हो तथा
(8.1)	दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए	छात्रवृत्ति योज	ाना		
	कक्षा 1 से 8	500	500	बंधन नही है।	
	कक्षा 9 से 12	1000	1000	1	2—चिकित्सक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत या
					इससे अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो।
		<u> </u>			